

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ ,जिला भीलवाडा

बईजलास :- अर्पिता सोनी ,आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 229/17

उ-नः 424 उनवान

कैलाश पिता भवाना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी

बनाम

- 1-घीसु लाल पिता धन्ना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ
- 2 - गोपाल पिता धन्ना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ
- 3-उकॉर पिता भवाना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

-:आदेश:-

दिनांक...29/5/17

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री सजंय कुमार के जरिये प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/सयुंक्त खाते की भुमि ग्राम मानपुरा प0ह0 मानपुरा की सरहद में आ0न0 726 रकबा 3 बिघा 06 बिस्वा खातेदारी में स्थित है । विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र सलग्न है प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया गया । प्रस्तुत पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली में सलग्न जमाबन्दी सम्वंत 2069-72 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात खातेदार काश्तकार है पडौसियो के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है ।

अतःप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0स्वीकार कि ग्राम मानपुरा प0ह0 मानपुरा की सरहद में आ0न0 726 रकबा 3 बिघा 06 बिस्वा खातेदारी भुमि की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है पत्थरगढी हेतु भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कमिश्नर फीस 150/रूपये तय किये जाते है जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मोके पर अदा करेगा। पत्थरगढी शुल्क 100/रूपये जरिये चालान राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया ।

—अर्पिता—
(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ
माण्डलगढ जि-भीलवाडा